



आयुक्त अंकेक्षण, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय, जोधपुर
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL GST & C. Ex. AUDIT, JODHPUR

जी -105, न्यू इंडस्ट्रियल एरिया बासनी, डीजल शेड के पास, जोधपुर -342003
G-105, NEW INDUSTRIAL AREA BASNI, NEAR DIESEL SHED, JODHPUR-342003


F.No.: GADT/II(22)/63/2024-ADMN/373

Date:- .04.2024

मल्टी टास्किंग स्टाफ हेतु ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति महोदय की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कार्यालय आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अंकेक्षण आयुक्तालय, जी-105, न्यू इंडस्ट्रियल एरिया, जोधपुर स्थित अंकेक्षण कार्यालय एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों में मल्टी टास्किंग स्टाफ (अर्ध कुशल /Semiskilled), हेतु अनुबंध के आधार पर पंजीकृत सेवाप्रदाताओं/ठेकेदारों से GeM Portal द्वारा निविदाये आमंत्रित की जाती है।

1. विस्तृत जानकारी एवं निविदा प्रपत्र एवं शर्तों का विवरण विभागीय वेबसाइट GeM पोर्टल अथवा <https://cgstjaipur.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।
2. इस कार्यालय को किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को, बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इस विज्ञप्ति में किसी भी संशोधन/बदलाव का प्रकाशन केवल उक्त वेबसाइट्स पर ही जारी किया जायेगा, समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।


17/04/24
अधीक्षक (प्रशासन)

प्रतिलिपि -

1. ✓ अधीक्षक (कम्प्यूटर), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जोधपुर को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशन हेतु।
2. नोटिस बोर्ड।



आयुक्त अंकेक्षण, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय, जोधपुर
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL GST & C. Ex. AUDIT, JODHPUR

जी -105, न्यू इंडस्ट्रियल एरिया बासनी, डीजल शेड के पास, जोधपुर -342003

G-105, NEW INDUSTRIAL AREA BASNI, NEAR DIESEL SHED, JODHPUR-342003

मल्टी टास्किंग स्टाफ हेतु ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति महोदय की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जी-105, न्यू जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर स्थित अंकेक्षण कार्यालय एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों में **मल्टी टास्किंग स्टाफ** (अर्ध कुशल /Semiskilled), हेतु अनुबंध के आधार पर पंजीकृत सेवाप्रदाताओ/ठेकेदारों से GeM Portal द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

विस्तृत जानकारी एवं निविदा प्रपत्र एवं शर्तों का विवरण अधीक्षक (प्रशासन), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अंकेक्षण आयुक्तालय, जोधपुर से किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 09.30 से सायं 18.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है अथवा GeM Portal एवं विभागीय वेबसाइट <http://cgstjaipur.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।

इस कार्यालय को किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को, बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। इस विज्ञप्ति में किसी भी संशोधन/बदलाव का प्रकाशन केवल उक्त वेबसाईट्स पर ही जारी किया जायेगा, समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

Signed by

Anil Singh

Date: 10/04/2024 15:12:23

अधीक्षक (प्रशासन)

ANNEXURE-I**(अ) कार्यालय का पूर्ण पता, क्षेत्रफल आदि का विवरण-**

भारत के राष्ट्रपति महोदय की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जी-105, न्यू जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर स्थित अंकेक्षण कार्यालय एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों में मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) हेतु वार्षिक अनुबंध के आधार पर MTS (Multi Tasking Staff) उपलब्ध करवाने के लिए पंजीकृत सेवाप्रदाताओं/ठेकेदारों से GeM Portal द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। कार्यालय का पूर्ण पता व कार्य का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम व पता	अधिकतम मल्टी टास्किंग स्टाफ की आवश्यकता	कार्य का विवरण
1.	कार्यालय आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अंकेक्षण आयुक्तालय, जोधपुर, एवं अंकेक्षण सर्किल, जोधपुर, जी-105 न्यू जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर 342 001	02	फाइल लाने एवं ले जाने, अति आवश्यक डाक सुपुर्द करवाने एवं डाक प्रेषण, रजिस्ट्री/ स्पीड पोस्ट करवाने, महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटो कॉपी करवाने, कम्प्यूटर पर कार्य करना/ कम्प्यूटर का ज्ञान, इत्यादि कार्य एवं जो कार्यालय अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा बताया जायेगा।
2.	सहायक आयुक्त, उदयपुर अंकेक्षण सर्किल, प्लॉट न. 9-10, खसरा न. 437-438, महाराणा प्रताप हाउसिंग सोसायटी, हिरण मगरी, सेक्टर-13, उदयपुर।	01	
	कार्यालय सहायक आयुक्त, भीलवाडा अंकेक्षण सर्किल, 1.11ए आजाद नगर, भीलवाडा	01	

नोट-

- सक्षम अधिकारी के द्वारा एम.टी.एस. लगाने की संख्या कम या ज्यादा (अनुबंधित दर पर) की जा सकती है।
- सेवाप्रदाता द्वारा उपलब्ध करवाये गये एम.टी.एस. का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा उन्हें निविदा अवधि में कभी भी हटाया जा सकता है।
- वित्तीय निविदा में दरें अंको व शब्दों दोनों रूपों में स्पष्टतः उल्लिखित होनी चाहिए। अंकों एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता होने पर शब्दों में प्रस्तुत दर को प्राथमिकता दी जाएगी।

ANNEXURE-II**(ब) निविदा प्रक्रिया-**

1. निविदा दो भागों में स्वीकार की जाएगी -(1) तकनीकी निविदा एवं (2) वित्तीय निविदा। तकनीकी निविदा के लिए Annexure-V में व वित्तीय निविदा (BOQ Format) Annexure-VI में एवं निविदा स्वीकृति पत्र (Annexure-VII) में निर्धारित प्रपत्र पूर्ण करके अलग-अलग अपलोड करना होगा।
2. निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय) केवल GeM पोर्टल <http://gem.gov.in> पर ऑनलाइन जमा की जाएगी। निविदा अन्य किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं की जायेगी। ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने या GeM पोर्टल से संबंधित कोई भी प्रश्न के लिए GeM पोर्टल हैल्पडेस्क से सम्पर्क किया जा सकता है। इस सम्बंध में इस कार्यालय से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

योग्य निविदा के लिए शर्तें-

1. निविदाकर्ता को श्रम विभाग, ई.एस.आई, भविष्य निधि व वस्तु एवं सेवाकर में पंजीकृत होना चाहिए।
2. फर्म का विगत तीन वर्षों में 10 लाख या अधिक का वार्षिक टर्नओवर एवं तीन वर्ष का कार्य अनुभव तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।
3. निविदाकर्ता के पास वैध Permanent Account Number (PAN) होना चाहिए।
4. निविदाकर्ता को पिछले एक वर्ष के कम से कम 10 ठेकाधीन कर्मचारियों की पी.पी.एफ. कटौती व ई.एस.आई. कटौती की रसीद तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।
5. निविदाकर्ता विगत तीन वर्षों की आयकर विवरणी व वस्तु एवं सेवाकर विवरणी निविदा के साथ संलग्न करें जो तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।
6. यदि किसी फर्म को कार्यकाल के दौरान किसी सरकारी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया हो तथा उसकी अमानत राशि जब्त कर ली गयी हो, तो वह फर्म निविदा भरने के योग्य नहीं है। इसके लिए निविदाकर्ता को undertaking देनी होगी।
7. निविदाकर्ता को निविदा के साथ राशि रु. 25,000/- अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अंकेक्षण आयुक्तालय जोधपुर के नाम जो एस. बी. आई., जोधपुर में देय हो जमा कराना होगा। बिना अमानत राशि के निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान सफल निविदादाता की तकनीकी एवं वित्तीय निविदा में अपूर्ण/गलत सूचनाएँ पाई गईं या सफल निविदादाता द्वारा अपनी निविदा वापिस लेने का अनुरोध किया गया तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा करवाई गई अमानत राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जायेगी। असफल निविदादाता को चयन प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद बिना ब्याज के अमानत राशि लौटा दी जायेगी। सफल निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध के सफल प्रदर्शन के उद्देश्य से Performance Security ठेके के कुल मूल्य का 05 प्रति शत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. या बैंक गारंटी जो किसी राष्ट्रीयकृत/ कामशियल बैंक का हो, Performance Security के तौर पर एक माह के भीतर-भीतर प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अंकेक्षण आयुक्तालय, जोधपुर के नाम बनवाकर विभाग के पास जमा कराना होगा, जो कि सम्पूर्ण ठेका अवधि के समाप्ति (पूर्ण होने) के पश्चात भी अगले 60 दिनों के लिए वैध होना चाहिए तथा Performance Security के डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. या बैंक गारंटी की प्राप्ति के पश्चात ही बिना ब्याज के अमानत राशि (Bid Security) के लौटाया जायेगा।
8. यदि सफल आवेदक द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर-भीतर कार्य नहीं संभाला जाता है अथवा ठेकाधीन कर्मचारी उपलब्ध नहीं करवा पाता है अथवा Performance Security जमा नहीं

करवाता है अथवा अन्य किसी भी कारण से कार्य निष्पादित करने की अनिच्छा लिखित में प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण अमानत राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा उसके अगले निम्न उत्तरदायी निविदाकर्ता (Next Lower Responsive Bidder) को उक्त न्यूनतम दर वाले निविदाकर्ता की दरों पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया जा सकता है।

9. निविदा के साथ लगाए गए सभी दस्तावेजों पर भी पृष्ठ नम्बर अंकित कर प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता के मय मोहर हस्ताक्षर होने चाहिए।
10. फर्म का ऑफिस/अधीनस्थ ऑफिस जोधपुर में होना चाहिए इस आशय का प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के साथ अपलोड किया जाये।
11. वित्तीय निविदा में दरें अंको व शब्दों दोनों रूपों में स्पष्टतः उल्लिखित होनी चाहिए। अंकों एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता होने पर शब्दों में प्रस्तुत दर को प्राथमिकता दी जाएगी।
12. अपूर्ण भरी हुई निविदाएं या गलत सूचनाएं पाई जाने पर निविदाएं निरस्त कर दी जाएंगी।
13. किसी भी निविदाकर्ता द्वारा कार्योदेश या उसके किसी भी सारवान भाग को किसी अन्य एजेंसी के लिये नहीं सौंपेगा या उपभाड़े (सबलैट) पर नहीं दिया जायेगा।
14. सभी योग्य निविदाओं का तुलनात्मक चार्ट सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा तथा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात सफल निविदादाता को यथानुसार सूचित कर दिया जाएगा।
15. सफल निविदादाता (फर्म) को आदेश प्राप्त होने के 10 दिवस की अवधि के भीतर-भीतर अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा।
16. निविदाकर्ता, निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व अपने व्यय पर किसी भी कार्य दिवस एवं कार्यालय समय में अधीक्षक(प्रशासन) से सम्पर्क कर निविदा के बारे में जानकारी ले सकता है, इसके अलावा विभागीय वेबसाइट पर भी निरीक्षण कर जानकारी प्राप्त कर सकता है।
17. आवश्यकतानुसार अनुबंध अवधि के दौरान सक्षम अधिकारी के द्वारा एम.टी.एस. की संख्या अनुबंधित दर पर कर्म या ज्यादा की जा सकती है।

ANNEXURE-III

(स) कार्य की निबंधन एवं शर्तें-

1. सेवाप्रदाता द्वारा उपलब्ध करवाए गए ठेकाधीन कर्मचारी कार्य दिवस और जब भी बुलाया जाये कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।
2. सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि उपलब्ध करवाए गए मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) अनुभवी तथा प्रशिक्षित हों तथा स्वस्थ हों। ठेकाधीन कर्मचारी कार्यालय की मर्यादा, अनुशासन को कायम रखेंगे एवं कार्यालय के अधिकारियों के प्रति अनुशासनहीनता एवं अभद्रता प्रकट नहीं करेंगे और ना ही कार्यालय परिसर में धूम्रपान, मदिरा, मादक पदार्थ, पान-तम्बाकू आदि का प्रयोग करेंगे। सेवाप्रदाता अपने सभी कर्मचारियों को यूनिफॉर्म एवं फर्म का परिचय पत्र उपलब्ध करवाएगा। सेवाप्रदाता कार्यालय में मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के लिए उपलब्ध करवाए गए सभी कर्मचारियों का पूर्ण पता मय टेलीफोन नम्बर/मोबाइल नम्बर कार्यालय रिकार्ड के लिए उपलब्ध करवाएगा।
3. यदि कोई ठेकाधीन कर्मचारी किसी कार्य दिवस को अनुपस्थित होता है तो सेवाप्रदाता का दायित्व होगा कि वह अनुपस्थित कर्मचारी के स्थान पर उस दिन के लिए अन्य प्रतिस्थापन कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा अन्यथा उनके अनुपस्थिति के दिनों की मजदूरी देय नहीं होगी।
4. सेवा प्रदाता द्वारा अधिकृत किये गये कर्मचारियों को ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी। कार्यालय में उनकी निर्धारित सामान्य ड्यूटी के अतिरिक्त किसी तरह की अन्य प्राइवेट कार्य/गतिविधि करने की अनुमति नहीं होगी।
5. सेवा प्रदाता को भारत सरकार द्वारा लागू चिल्ड्रन एक्ट की पूर्ण रूप से पालना करनी होगी तथा कोई अवयस्क/नाबालिग कर्मचारी को कार्य पर नहीं लगाया जायेगा।
6. सेवाप्रदाता/ठेकेदार अपने कर्मचारियों को मजदूरी/वेतन, भत्ते या अन्य लाभों के भुगतान आदि केन्द्र सरकार/श्रम विभाग अथवा अन्य जो भी एक्ट लागू हो, के सभी विधि, नियमों एवं नोटिफिकेशन एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अथवा जो भी अधिनियम लागू हो की पालना करने के लिये उत्तरदायी होगा। यह कार्यालय इस सम्बन्ध में समय-समय पर सरकार के विभिन्न विधि, नियमों, नोटिफिकेशन, आदेश एवं एक्ट के तहत आने वाले किसी भी तरह की जिम्मेदारियों अथवा किसी/सभी तरह के दावों के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
7. सेवाप्रदाता को केन्द्र सरकार के न्यूनतम मजदूरी एक्ट, 1948 के तहत एवं भारत का राजपत्र, श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 07.08.2008 को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी, का भुगतान करना होगा तथा न्यूनतम मजदूरी एक्ट के तहत मजदूरी बढ़ने पर बढ़ी हुई दर से अपने कर्मचारियों को भुगतान करवाने की जिम्मेदारी सेवाप्रदाता की होगी। अनुबन्ध की तारीख से भविष्य में जो भी वैधानिक जिम्मेदारी होगी वह सेवाप्रदाता को वहन करनी होगी। इसके लिये यह कार्यालय/विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
8. सेवाप्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी कर्मचारी से मजदूरी के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हो। सेवाप्रदाता द्वारा उपलब्ध करवाए गए सभी कर्मचारी सेवाप्रदाता फर्म के कर्मचारी होंगे ना कि केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर विभाग के। सेवाप्रदाता द्वारा मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के कार्यों को सम्पन्न करवाने हेतु लगाये जाने वाले कर्मचारी इस कार्यालय या अन्य सरकारी कार्यालयों में पार्ट/फुल टाइम के लिये

नियमित/स्थाई होने का दावा नहीं कर सकते।

9. किसी भी ठेकाधीन कर्मचारी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से, बेईमानी, चोरी, टूट-फूट, अवैधानिक कृत्य आदि के लिए सेवाप्रदाता उत्तरदायी होगा तथा ऐसे किसी भी नुकसान के लिए विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी। सेवाप्रदाता प्रत्यक्ष रूप सीधे ही अपने कर्मचारियों की किसी प्रकार की झूठी, विवाद यथा दुर्घटना, बीमा क्लेम, लाभ, भत्ते आदि के लिए जिम्मेदार होगा एवं उनके द्वारा लगाये गये कर्मचारियों की असावधानी से कार्यालय के सामान की चोरी या टूट-फूट, किसी भी तरह के दावों की जिम्मेदारी सेवाप्रदाता की होगी। उक्त कृत्यों से होने वाले नुकसान की भरपाई सेवाप्रदाता को किए जाने वाले मासिक भुगतान में से की जाएगी। एवं अन्य किसी भी तरह के नुकसान की जिम्मेदारी सेवाप्रदाता की होगी जिसकी भरपाई सेवाप्रदाता को किये जाने वाले मासिक भुगतान में से आनुपातिक आधार पर कि जायेगी।

10. सेवाप्रदाता राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा सभी विधिक नियमों, विनियमों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा। सेवाप्रदाता को विभिन्न एक्ट/नियमों के तहत वांछित रजिस्टर्स, दस्तावेजों आदि का रखरखाव करना होगा तथा संबंधित विभागों द्वारा निरीक्षण किये जाने पर उन्हें जांच हेतु प्रस्तुत करना होगा।

11. वित्तीय निविदा में मासिक (26 दिवस) दरें अंको व शब्दों दोनों में स्पष्टतः उल्लिखित होनी चाहिए। अंकों एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता होने पर शब्दों में प्रस्तुत दर को प्राथमिकता दी जाएगी।

12. अपूर्ण भरी हुई निविदाएं या गलत सूचनाएं पाई जाने पर निविदाएं निरस्त कर दी जाएंगी।

13. सेवाप्रदाता द्वारा इस कार्यालय द्वारा किये जाने वाले अनुबंध में उल्लिखित सभी नियमों एवं शर्तों की अनुपालन करना सुनिश्चित करना होगा। सेवाप्रदाता द्वारा किये जाने वाले अनुबंध एवं इस कार्यालय द्वारा स्वीकार की गई दरों में किसी भी तरह का विरोधाभास नहीं होना चाहिये। यदि किसी तरह का विरोधाभास या सेवाओं में कमी पाई गई तो इस कार्यालय द्वारा 15 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा एवं अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी सेवाप्रदाता की होगी।

14. सेवाप्रदाता से मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) कार्यों के लिए निर्धारित अवधि के लिए अनुबंध किया जाएगा। इस विभाग को किसी भी समय न्यूनतम 15 दिनों का अग्रिम नोटिस देकर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा तथा मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के संबंध में यदि विभागीय नियमों में परिवर्तन आता है तो अनुबंध की शर्तों में संशोधन/परिवर्तन किया जा सकता है एवं आवश्यकतानुसार सेवाप्रदाता द्वारा लगाये गये कर्मचारियों को हटाया जा सकता है अथवा तुरन्त प्रभाव से अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।

ANNEXURE-IV**(द) भुगतान की शर्तें-**

1. सेवाप्रदाता प्रतिमाह की एक तारीख को आवश्यक रूप से दो प्रतियों में कार्यालय में मासिक बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करेगा। सेवाप्रदाता को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत प्रचलित टीडीएस की कटौती कर भुगतान किया जाएगा। उक्त निविदा के सापेक्ष सभी प्रकार के कर देयताओं (जी.एस.टी. को छोड़कर) को सेवाप्रदाता द्वारा वहन किया जायेगा इस संदर्भ में सेवाप्रदाता की जिम्मेदारी होगी कि वह सेवा प्रदान करने के दौरान उत्पन्न हुये सभी प्रकार के कर (जी.एस.टी. को छोड़कर) व अन्य दायित्वों का भली भांति निर्वहन सुनिश्चित करेगा व तदनुसार दस्तावेजो/रिकॉर्डस का रखरखाव करेगा। सेवाप्रदाता को अधिकृत अधिकारी से संतोषजनक कार्य किए जाने संबंधित प्रमाण पत्र बिल के साथ संलग्न करने पर ही भुगतान किया जायेगा।
2. वित्तीय निविदा में राशि जी.एस.टी. को छोड़कर सभी टैक्स सहित दर्शायी जाये। जी.एस.टी. का भुगतान इस कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
3. सेवाप्रदाता को प्रतिमास बिल के साथ साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा लगाये गये मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) को केन्द्र सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी एक्ट के तहत तय की गई मजदूरी की दरों के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया कर दिया गया है तथा पीएफ/ईएसआई व सेवाकर के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। उसे समयानुसार पीएफ ईएसआई तथा जीएसटी से सम्बन्धित चालान आदि दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। सेवाप्रदाता द्वारा प्रतिमाह इस कार्यालय में कार्य पर लगाये गये प्रत्येक मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) का नाम, भुगतान की गई राशि, कटौती का विवरण, पी.एफ. खाते में जमा राशि एवं ई.एस.आई. की राशि का स्टेटमेन्ट प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जायेगा।
4. सेवाप्रदाता द्वारा हर माह पिछले माह की मजदूरी का भुगतान करने के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
5. यदि किसी अपरिहार्य कारणवश इस कार्यालय द्वारा मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में सेवाप्रदाता फर्म को अपने कर्मचारियों को समय पर पूर्ण भुगतान करना होगा।
6. यदि इस कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त हुई कि सेवाप्रदाता अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं कर रहा है तो उसके बिल/जमा करवाई गई performance security से उनके मजदूरों को देय भुगतान की राशि काट कर शेष राशि का भुगतान किया जायेगा।
7. सेवाप्रदाता को, वसूली की जाने वाली राशि की कटौती करके, यदि कोई हो तो, प्रतिमाह फर्म के बैंक खाते में बिल का भुगतान वेतन एवं लेखा कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर द्वारा ई-पेमेन्ट से किया जायेगा।
8. अनुबंध की शर्तों की पालना नहीं करने पर या मल्टी टास्किंग स्टाफ कार्यों में शिकायत प्राप्त होने या कार्य पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं होने पर इस कार्यालय द्वारा सेवाप्रदाता के बिल में से उचित राशि की कटौती की जाएगी। सेवाप्रदाता के किसी कर्मचारी के अनुपस्थित रहने पर या संतोषजनक कार्य नहीं करने पर न्यूनतम 200/- प्रतिदिन की शास्ति आरोपित की जाएगी तथा उक्त राशि की वसूली सेवाप्रदाता द्वारा प्रस्तुत बिल में से की जाएगी। शास्ति

आरोपण के सम्बन्ध में कार्यालय का निर्णय अन्तिम होगा तथा सेवाप्रदाता के लिए बाध्यकारी होगा तथा यह किसी प्रकार के विवाद का विषय नहीं होगा।

मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) का मुख्य कार्य है कि फाइल लाने एवं ले जाने, अति आवश्यक डाक सुपुर्द करवाने एवं डाक प्रेषण, रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट करवाने, महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटो कॉपी करवाने, कम्प्यूटर पर कार्य करना/कम्प्यूटर का ज्ञान इत्यादि कार्य जो कार्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बताया जायेगा, इस हेतु सेवाप्रदाता को निम्न कार्य करवाने होंगे-

मैं/हम उपरोक्त नियमों एवं शर्तों से सहमत हूँ।

हस्ताक्षर मय तिथि

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

फर्म का नाम

मोहर

Annexure-V**तकनीकी निविदा**

मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) कार्यों की निविदा के लिए आवश्यक पूर्व-योग्यता निर्धारण हेतु प्रोफार्मा

1.	फर्म/संस्था का नाम	
2.	डायरेक्टर/पार्टनर/प्रोपराईटर का नाम	
3.	पूर्ण पता एवं दूरभाष/मोबाइल/फैक्स नम्बर	
4.	सम्पर्क व्यक्ति का विवरण (नाम/पता/टेलीफोन नम्बर)	
5.	संस्था का विवरण (क्या फर्म प्रोपराईटरशिप/ पार्टनरशिप/कम्पनी है)	
6.	आयकर पैन नम्बर (फोटो प्रति अपलोड करें)	
7.	विगत 3 वर्ष की आयकर विवरणिका संलग्न करें।	
8.	विगत 3 वर्ष की GST विवरणिका संलग्न करें।	
9.	GST पंजीकरण संख्या (फोटो प्रति अपलोड करें)	
10.	रीजनल प्रोविडेंट फंड कार्यालय द्वारा आवंटित प्रोविडेंट फंड संख्या (प्रति अपलोड करें)	
11.	ईएसआई पंजीकरण संख्या (प्रति अपलोड करें)	
12.	गत तीन वर्षों का अनुभव का विवरण (कृपया सरकारी/पब्लिक अण्डरटेकिंग का कार्य आदेश/सेवा प्रमाण पत्र अपलोड करे)	
13.	अन्य सरकारी/पब्लिक अण्डरटेकिंग जहां वर्तमान में कार्य लिया हो की सूची	
14.	फर्म के कुल स्टॉफ/कर्मचारियों की संख्या	

15.	आवेदन राशि का विवरण	
16.	धरोहर राशि का विवरण	
17.	फर्म का ऑफिस/अधीनस्थ ऑफिस का प्रमाण पत्र	

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार उक्त दी गई सूचनाएं पूर्ण एवं सही हैं। मैं/हम जानते हैं कि उक्त दिए गए विवरण में कोई भी सूचना या विवरण गलत पाया जाता है तो मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के अनुबंध को निरस्त किया जा सकता है, अमानत राशि जब्त की जा सकती है एवं भविष्य में हमें ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है।

हस्ताक्षर मय तिथि

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

फर्म का नाम

मोहर

Annexure -VI**Financial Bid****Price Bid**

- a. Price bid undertaking
- b. Schedule of price bid

Price Bid Undertaking

From: (Full Name and address of the Bidder) _____

To, _____

Dear Sir/ Madam,

- c. I submit the Price Bid for _____ and related activities as envisaged in the Bid document.
- d. I have thoroughly examined and understood all the terms and conditions as contained in the Bid document, and agree to abide by them.
- e. I offer to work at the rates as indicated in the price Bid inclusive of all applicable taxes.
- f. I/We undertake that I/We have carefully studied all terms and conditions of the tender and shall abide by them. Further, it is certified that I/We have never been blacklisted by any Govt./PSU Department.

Yours faithfully,

(Signature of the Bidder, with Official Seal)

Annexure - VII**TENDER ACCEPTANCE LETTER**
(To be given on Company Letter Head)

To,

Sub: Acceptance of Terms & Conditions of Tender.

Tender Reference No: _____

Name of Tender / Work:

Dear Sir,

1. I/ We have downloaded / obtained the tender document(s) for the above mentioned 'Tender/Work' from the web site(s) namely:

as per your advertisement, given in the above mentioned website(s).

2. I / We hereby certify that I / we have read the entire terms and conditions of the tender documents from Page No. _____ to _____ (including all documents like annexure(s), schedule(s), etc.), which form part of the contract agreement and I / we shall abide hereby by the terms / conditions / clauses contained therein.

3. The corrigendum(s) issued from time to time by your department/ organisation too has also been taken into consideration, while submitting this acceptance letter.

4. I / We hereby unconditionally accept the tender conditions of above mentioned tender document(s) / corrigendum(s) in its totality / entirety.

5. In case any provisions of this tender are found violated, then your department/ organisation shall without prejudice to any other right or remedy be at liberty to reject this tender/bid including the forfeiture of the full said earnest money deposit absolutely.

Yours Faithfully,

(Signature of the Bidder, with Official Seal)

